न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 15 / 2025

बउनवान

सरकार जर्ये धीरज कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, (बारां) (प्रार्थी)

बनाम

श्री प्रमोद पुत्र श्री मोहनलाल, निवासी बारां, तहसील बारां, जिला बारां (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 / 7 के तहत

उपस्थिति :– 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

निर्णय दिनांक 30.04.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.03.2025 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढते व्यावसायिक दुरूपयोग की शिकायत के कम में जिला रसद अधिकारी, के निर्देशानुसार प्रार्थी हमराह श्री देवाराम सारण, प्रवर्तन अधिकारी, श्री सन्तोष कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, धर्मादा चौराहा बारां स्थित प्रमोद स्वीट्स पर पहुंचे मौके पर श्री प्रमोद पुत्र श्री मोहनलाल, निवासी बारां उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के भाग 3 के बिन्दु संख्या 3,4,5 व 7 का उल्लंघन पाये जाने पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मौके पर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स राज एचपी गैस एजेन्सी बारां की सुपुर्दगी में दिये जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया।

इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लघन है। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने स्वंय उपस्थित होकर जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही झूंठी पेश की गई है। घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रार्थी द्वारा व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा था बल्कि प्रार्थी के पास व्यावसायिक गैस कनेक्शन है जिससे ही प्रार्थी अपना व्यवसाय करता है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार रसद एवं उपस्थित अप्रार्थी स्वंय की सुनी।

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा दो गैस सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.05.09 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

बहस के दौरान अप्रार्थी स्वंय ने कथन किया कि घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रार्थी द्वारा व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा था बल्कि प्रार्थी के पास व्यावसायिक गैस कनेक्शन है जिससे ही प्रार्थी अपना व्यवसाय करता है। प्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही झूंठी पेश की गई है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही निरस्त फरमाकर अप्रार्थी की दुकान से जब्त किये गये गैस सिलेण्डर अप्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश प्रदान करें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी ने बहस के दौरान घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग नही किये जाने का कथन किया है। परन्तु प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत छायाप्रति व्यावसायिक गैस कनेक्शन की डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त कनेक्शन अप्रार्थी ने दिनांक 17.03.2025 को लिया है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 11.03.2025 को की गई कार्यवाही के आधार पर पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र-स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर (1) 220120 T, (2) 71592, का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डरों की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/– रूपये यानि 2 गैस सिलेण्डरों की कुल 5000/– रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को वापस लौटाये जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डरों को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नही लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर्स को संचालक मैसर्स राज एचपी गैस एजेन्सी बारां को कीमत पर दिया जाकर उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.05.09 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested